बैठकों व घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा, सीपी साहब

फ़रीदाबाद (म.मो.) 27 नवम्बर को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा द्वारा विभागीय मीटिंग उपरांत जारी किये गये प्रेसनोट में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक दुर्घटना का मौका मुआयना डीसीपी व एसीपी द्वारा किया जायेगा, जो दुर्घटना के कारणों की रिपोर्ट उन्हें देंगे। इसके बाद जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

लगभग ऐसी ही कुछ घोषणाएं सीपी ने यहां का चार्य सम्भालते वक्त की थी। लेकिन अमल दरामद होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया। इस दौरान कम से कम दो दुर्घटनाएं खुले मैनहोल में गिरने से हुईं तथा एक मौत आवारा सांड के द्वारा अंजाम दी गई। इनके अलावा दर्जनों ऐसे मामले हैं जो मीडिया में कहीं रिपोर्ट न हो सके। शहर की सड़कों पर बने गड्ढों से कई दुपहिया चालक घायल हो चुके हैं। लेकिन किसी भी दुर्घटना के लिये पुलिस ने किसी को भी दोषी ठहरा कर कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी।

कायदे से इन तमाम दुर्घटनाओं के लिये नगर निगम, स्मार्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड, 'हूडा', राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। लेकिन ये सब सरकारी उपक्रम होने के चलते, सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं।

यदि कहीं ये उपक्रम किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित होते तो पुलिस तुर्त-फुर्त उनके द्वारे जा पहुंचती, लेकिन जब मामला सरकारी अधिकारियों का हो तो भला पुलिस की क्या मजाल जो किसी को पूछ भी सके। बीते दिनों ओल्ड फ़रीदाबाद रेलवे स्टेशन के निकट बने

अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने के बावजूद पुलिस ने किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की।

और महकमों की क्या बात करें खुद पुलिस महकमा यातायत नियमों को लागू करने में कोई विशेष रुचि लेता नज़र नहीं आता। रौंग साइड चलना, दुपहिया पर तीन सवारियों का चलना, खतरनाक ढंग से लदे ट्रैक्टर ट्रौले, ट्रैक्टर टेंकर खुलेआम बेरोक-टोक सड़कों पर दौड़ते नज़र आते हैं। ट्रैक्टरों में तो अक्सर हेडलाइट व पीछे की साइड पर लाल बत्ती तक नहीं होती। शहर के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग की तमाम सर्विस सड़कों सहित भीतरी इलाकों में वाहन अवैध पार्किंग द्वारा सड़कों को घेरे रहते हैं। इन सब में महत्वपूर्ण बाटा चौक से हार्डवेयर चौक तक, राजमार्ग पर बाटा मोड़ से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर, सेक्टर 14 व नौ को जोड़ने वाली सड़क जिस पर स्कॉट ट्रैक्टर कंपनी व इंडियन ऑयल स्थित हैं, पर सदैव विभिन्न प्रकार के वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। क्या ट्रैफ़िक पुलिस केवल उगाही के लिये ही है ?

दुर्घटनाओं का तो यह अनकहा कानून ही बन चुका है कि किसी न किसी वाहन चालक को दोषी ठहरा कर कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली जाय। कभी भी उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती जिनकी लापरवाही, बेईमानी आदि के चलते व सड़क में उत्पन्न हुई खामियों के चलते दुर्घटना होती है।

अब समय बतायेगा कि डीसीपी व एसीपी दुर्घटना-स्थलों का मुआयना करके क्या नया तीर चलायेंगे ?

असहाय सिद्ध हो रहा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

फ़रीदाबाद (म.मो.) पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाये रखने के लिये सभी राज्यों की तरह हरियाणा में भी करीब 40 वर्ष पूर्व इसका गठन किया गया था। प्रत्येक ज़िले में इसके कार्यालय खोले गये थे। लेकिन कहीं से भी लगता नहीं कि इस बोर्ड ने जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर कभी कोई नियंत्रण कर पाने में कोई सफ़लता पाई हो। हां, भ्रष्टाचार एवं लूट कमाई के अनेकों आरोप बोर्ड के चेयरमैन व अधिकारियों पर लगते रहें हैं; कुछ अधिकारी तो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े भी गये।

बोर्ड के अपने दायित्व को निभाने में असफ़ल होने का ही परिणाम आज भयंकर प्रदूषण के रूप में देखा जा रहा है। सांस लेने लायक शुद्ध हवा भी एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। यह वायु प्रदूषण आज या कल में यकायक नहीं बढ गया है। बीते 50 सालों से यह प्रदूषण लगातार बढता जा रहा है। प्रदूषण की इस बढोत्तरी को रोक पाने में बोर्ड की विफ़लता स्वत: सिद्ध नज़र आ रही है। हां, इस बढ़ते प्रदूषण ने कहीं एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) जैसी 'दुकानें' खोल कर कुछ लोगों को कमाई का धंधा दे दिया तो कहीं प्रदूषण के नाम पर तरह-तरह की सरकारों ने टैक्स वसूली का नया धंधा पकड़ लिया।

बिल्डर को 50 लाख तो नगर निगम को 10 लाख जुर्माने का नोटिस

शहरवासियों की, दिन ब दिन घुटती सांसों के लिये प्रदूषण बोर्ड ने बीते सप्ताह हीवो अर्पाटमेंट्स के बिल्डर को, निर्माण कार्य बंद न करने के एवज में, 50 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस दिया है। दूसरी ओर पूरे शहर को धूल-धुसरित करने वाले नगर निगम को मात्र 10 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस दिया है। यह नोटिस भी बोर्ड की ओर से तब जारी किया गया जब पानी सिर से ऊपर निकल गया। विदित है कि नगर निगम क्षेत्र में एक भी सड़क कभी भी ऐसी नहीं देखी गई कि जिस पर धूल न उड़ती हो। प्रत्येक सड़क के किनारों पर पड़ी धूल-मिट्टी वाहनों के गुजरने से उड़ कर हवा में घुलती रहती है। यह धूल इतनी महीन होती है कि साधारण नज़र से दिखाई तक नहीं देती।

प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों दिनेश व सचिन ने **'मज़दूर मोर्चा'** को बताया कि उन्होंने कई बार निगमायुक्त यशपाल यादव को कहा था कि वे धूल नियंत्रण हेतु सड़कों पर निरंतर पानी का छिड़काव करायें। जवाब में व हमेशा कहते रहे कि अनेकों ट्रैक्टर-टेंकर उन्होंने इस काम पर लगा दिये हैं। लेकिन कोई परिणाम नज़र न आने पर उन्हें जुर्माने का नोटिस देना पड़ा। इसी तरह के नोटिस उन्होंने एनएचएआई व कई अन्य लोगों को भी दिये हैं। एनएचएआई द्वारा बाईपास पर चल रहे काम के बारे में उन्होंने स्वत: कहा कि उनके ऊपर नोटिस का कोई विशेष असर होने वाला नहीं है क्योंकि इसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विशेष छूट प्राप्त है। हां इतना जरूर है कि नोटिस के बाद उन्होंने पानी का छिड़काव जरूर शुरू करा दिया है। अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में इन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें केवल नोटिस देने का अधिकार है, वसूली करने का नहीं, वसूली का निर्णय तो पंचकूला स्थित उनके मुख्यालय में बैठी एक पांच सदस्यीय कमेटी को है। उनके द्वारा दिये गये नोटिसों के विरुद्ध लोग उस कमेटी के सामने अपनी बात रखते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है।

नगर निगम जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों पर जुर्माना करने से किसी अफ़सर की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है ? जनता से वसूले गये टैक्स को जुर्माने के रूप में सरकार को दे देंगे और फ़िर ग्रांटों के रूप में सरकार से वापस भी ले लेंगे। हां, यदि किन्हीं अधिकारियों को दोषी ठहरा कर उनसे व्यक्तिगत वसूली की जाय तो कोई बात बनती है।

विदित है कि इस औद्योगिक नगरी में आज औद्योगिक प्रदूषण न के बराबर है, सारा प्रदूषण सड़कों से उठने वाली धूल, उन पर चलने वाले वाहनों, खास कर जगह-जगह लगने वाले जाम से जो पेट्रोलियम धुएं से होता है। इसका समाधान करने के अपेक्षा शहर भर में जगह-जगह हवा में प्रदूषण का स्तर बताने वाले यंत्र लगा दिये गये हैं। इन्हें देख कर नागरिक केवल चिन्ता तो कर सकते हैं लेकिन कोई समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं। हां, यदि नागरिक इस चिन्ता को गंभीरता से लेते हुए अपने उन नेताओं को पकड़ें जो इस प्रदूषण के लिये उत्तरदायी हैं यानी जिन्होंने प्रदूषण को थामने के लिये अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। उनसे पूछा जा सकता है कि सड़कों में गड्ढे क्यों हैं ? वाहनों के जाम की स्थिति क्यों बनने दी गई जबकि सड़कों की चौड़ाई 100-100 फ़ीट तक की हैं ?

स्मार्ट सिटी की पहचान: खड्डों में सड़कें उन पर लगेंगे कैमरे

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता से वसूले गये टैक्स को बर्बाद करने व लूट खाने में नगर निगम तो था सो था अब स्मार्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड भी आ धमकी है। इसके द्वारा शहर की सड़कों पर 1000 कैमरे लगाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जाहिर है कि इस मद में करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे हो जायेंगे, कैमरे जैसे चलेंगे और जितने दिन चलेंगे, सभी जानते हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब लाखों रुपये बर्बाद करके उस बाईपास पर रेड लाईट व कैमरे लगाये गये थे जिसके नवनिर्माण का कार्यक्रम घोषित हो चुका था जो अब प्रगति में है। जाहिर है कि हाल में लगी रेड लाइटें व कैमरे आदि बेकार हो जायेंगे। हो सकता है कि बेकार होने का अनुमान पहले से ही लगाकर बेकार कैमरे ही वहां लगाये गये हों।

प्रचारित किया जा रहा है कि इन कैमरों से अधिकारीगण अपने वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे-बैठे ही शहर में हो रहे अवैध कब्जों व निमार्णों को देख कर नियंत्रित कर सकेंगे। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। क्या अब तक हो रहे अवैध कब्जे व निर्माण इन अफ़्सरों को दिखाई नहीं दे रहे ? क्या इनको बचाये रखने एवं तोड़-फ़ोड़ का भय दिखाकर मोटी वसूलियां नहीं की जा रही ? हां, कैमरों के द्वारा, यदि वे चालू रह पाये तो, दफ़्तर में बैठे-बैठे ही अधिकारीगण अपने शिकारों को देख कर पकड़ लेंगे; इसके लिये उन्हें अपने छोटे कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फ़िलहाल ऐसे कोई कैमरे नहीं बन पाये हैं जो स्वत: अवैध निर्माणों व कब्जों को ध्वस्त कर सकें।

यदि ये कैमरे नहीं चल पाये, जिसकी पूरी सम्भावना है, तो उनकी मरम्मत आदि के लिये अलग से टेंडर निकाले जायेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि हर टेंडर अधिकारियों को काफ़ी कुछ देकर ही जाता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06